न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) भोगनीपुर कानपुर देहात।

वाद सं०–

विमला देवी बनाम उ०प्र० राज्य आदि।

दिनांक 02/07/2022

पत्रावली मुंसरिम आख्या के साथ पेश हुयी। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली मूल वाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र 9 ग 2 मय शपथ पत्र 10 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० पर वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा सूची 11 ग 1 दाखिल प्रपत्रों का मय पत्रावली सम्यक अवलोकन किया। वादिनी ने यह वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री हेतु योजित किया है।

प्रथम दृष्टया मामले के तथ्यों एवम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना प्रतिवादीगण को प्रार्थना पत्र 9 ग 2 पर सुनवायी का सम्यक अवसर दिये हुये एक पक्षीय रूप से वादिनी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का व्यादेश जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित हो। वाद वास्ते आपत्ति/निस्तारण प्रार्थना पत्र 9 ग 2 दिनांक 18/07/2022 व जवाबदावा/तनकीह हेतु दिनाँक 21/07/2022 को पेश हो। वादिनी पैरवी करे।

कृपा शंकर<br>
सिविल जज (जू०डि०) भोगनीपुर<br>
कानपुर देहात।<br>
ID NO.UP02625